जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

खराब मीटरों को बदलने का काम तेज किया जाए

——— भास्कर ए. सावंत

जयपुर, 18 नवम्बर। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने खराब और जले हुए मीटरों को बदलने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिससे डिस्कॉम के राजस्व में आ रही कमी को दूर किया जा सके। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्होंने वितरण निगमों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में 30 सितम्बर, 2015 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2014 से पहले का कोई भी खराब मीटर नही रहना चाहिए।

श्री भास्कर ए. सावंत ने बुधवार 18 नवम्बर को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से डिस्कॉम की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मीटरों को बदलने की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि डीसी/पीडीसी/बदले हुए मीटरों की संख्या को कम करते हुए वास्तविक खराब मीटरों की संख्या निर्धारित कर लक्ष्य के अनुरुप इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए ट्रिपिंग में कमी लाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फीडर पर ट्रिपिंग का रिकार्ड रखा जाये तथा 30 नवम्बर के बाद प्रतिमाह एक फीडर पर 3 से ज्यादा ट्रिपिंग नही होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर की सेवाओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कॉल सेन्टर पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही दर्ज शिकायतों का प्रत्येक वृत में एक अधिकारी द्वारा सत्यापन भी किया जाए। सतर्कता जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिए कि बिजली चोरी के मामलों में वीसीआर भरने के साथ ही पकड़े गए मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के कार्य में तेजी लाए तथा निर्धारित जुर्माने को वसूलने के कार्य में भी तेजी लाएं।

श्री सावंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी की फसल के लिए कृषि में ब्लॉक आवर्स में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। ब्लॉक में निर्धारित आपूर्ति का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने तकनिकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया कि सम्बन्धित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता इस योजना के बारे में अपने अधीनस्थ स्टाफ को बताएं।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 324/2015